

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

रिपोर्ट पटवारी हल्का - गोपालपुरा

महोदयजी निवेदन है की ग्राम माजी सा. का बेटा के खाता सं. 3, 47, 241 में रिपोर्ट पटवारी शपथपत्र एवं स्वयंज दस्तावेजों अनुसार साकिना उर्फ साक्षी छिपा जाना उचित है।  
 उमाजी का खाता सं. 3, 47, 241 में रिपोर्ट पटवारी शपथपत्र एवं स्वयंज दस्तावेजों अनुसार साकिना उर्फ साक्षी छिपा जाना उचित है।  
 साकिना उर्फ साक्षी के स्थान पर साक्षी पुत्री मोहनी बई धाड़ किया जाता है।

गोपालपुरा  
 17.10.2021

रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक वृत -----

महोदयजी,

ग्राम माजी सा. का बेटा के खाता सं. 3, 47, 241 में रिपोर्ट पटवारी शपथपत्र एवं स्वयंज दस्तावेजों अनुसार साकिना उर्फ साक्षी छिपा जाना उचित है।

रिपोर्ट तहसीलदार गोपालपुरा  
 18-10-2021

दि 18-10-2021

क्रमांक/राज्य/21/15

महोदयजी, निवेदन है कि रिपोर्ट पटवारी गोपालपुरा भू.अ.नि. उमाजी का खाता सं. 3, 47, 241 में रिपोर्ट पटवारी शपथपत्र एवं स्वयंज दस्तावेजों अनुसार साकिना उर्फ साक्षी छिपा जाना उचित है।  
 उमाजी का खाता सं. 3, 47, 241 में रिपोर्ट पटवारी शपथपत्र एवं स्वयंज दस्तावेजों अनुसार साकिना उर्फ साक्षी छिपा जाना उचित है।  
 साकिना उर्फ साक्षी के स्थान पर साक्षी पुत्री मोहनी बई धाड़ किया जाता है।

आदेश

तहसीलदार

पटवारी प.ह. गोपालपुरा भू.अ.नि. गोपालपुरा (उमाजी का बेटा) की जांच के अनुसार एवं तहसीलदार बिलौलिया की स्पष्ट अनुशंसा के आधार पर आवेदक साकिना पुत्री मोहनी बई धाड़ की ग्राम माजी सा. का बेटा के खाता संख्या 3, 47, 241 में साकिना पुत्री मोहनी बई धाड़ के स्थान पर साक्षी पुत्री मोहनी बई धाड़ किया जाता है।

गोपालपुरा

तहसील बिलौलिया जिला-भीलवाड़

प्रभारी अधिकारी

प्रशासन गाँवों संग अभियान-2021

उपस्थित अधिकारी  
 बिलौलिया (भीलवाड़)

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021  
कैम्प.....

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बिजौलिया  
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 कैम्प कोर्ट)  
कैम्प कोर्ट का स्थान गोपालपुरा

--:आदेश:-

माजी का खेड़ा प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी गोपालपुरा  
~~खेड़ा~~ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बिजौलिया की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान न्याय  
विनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम माजी साहब का खेड़ा तहसील बिजौलिया  
का जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 में खाता संख्या 241, 3, 47 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि  
अशुद्धि लिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।)
2.	<u>माजी साहब का खेड़ा</u>	<u>241, 3, 47</u>	<u>खाता सं. 241 में आवक 13, 47 का नाम सवित्रा जी मोहनी सरपंच सरपस्त सुगनलाल जात्रा का है।</u>	<u>खाता सं. 241, 3, 47 में आवक का नाम <del>खेडी</del> सावित्रा के स्थान पर साक्षी किया जाता है।</u>



(सीमा तिवारी प्रभारी अधिकारी  
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं बिजौलिया  
पदेन सहा.कलक्टर, बिजौलिया)

दिनांक :- 18/10/2021

दिनांक :- 18.10.2021

प्रति :-

तहसीलदार, बिजौलिया को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद  
शुद्ध किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

प्रार्थी खेडी साक्षी जी सुगनलाल जात्रा कि माजी साहब का खेड़ा कि बिजौलिया कि जी.जी.लवाड़ा  
अभियान पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी  
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं बिजौलिया  
पदेन सहा.कलक्टर, सीमा तिवारी